

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3342 /

जबलपुर, दिनांक 09/12/2020

दो-14-37/86

डॉ. सुरभि सिंह, जूनियर जूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को म.प्र. सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38 के अनुसार दिनांक 02.12.2019 से 29.05.2020 तक 180 दिन प्रसूति अवकाश एवं दिनांक 30.05.2020 से 27.06.2020 तक 29 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

सही/-

(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक C/3343 /

जबलपुर, दिनांक 09/12/2020

दो-14-37/86

प्रतिलिपि :-

1. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर के ज्ञापन क्रमांक अवकाश/1679 इंदौर दिनांक 09/11/2020 के द्वारा डॉ. सुरभि सिंह, जूनियर जूडिशियल ट्रांसलेटर का प्रसूति अवकाश आवेदन पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा अर्जित अवकाश आवेदन पत्र सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शन प्रशा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

\*\*\*\*\*

५